

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक- 20/11/07

सं० 17/ए3-11/07-195(17)/स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एनार्टीमी विभाग के निम्नांकित ट्यूटर एवं कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुमति के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्लम्ब-4 में उल्लिखित तिथि से ट्यूटरो को प्रोन्नत एवं कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की प्रोन्नति को विनियमित किया जाता है:-

| क्र० | कार्यकारी सहायक प्राध्यापक का नाम | कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त की तिथि। | नियमित प्रोन्नति की तिथि |
|------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | डा० रामजी प्रसाद सिंह | 07.09.06 | 07.09.06 |
| 2 | डा० उदय शंकर सहाय | 07.09.06 | 07.09.06 |
| 3 | डा० रामेश्वर प्रसाद | 07.09.06 | 07.09.06 |
| 4 | डा० (श्रीमती) रत्नि प्रसाद | 07.09.06 | 07.09.06 |
| 5 | डा० सुरेश कुमार | 24.03.04 | 07.09.06 |
| 6 | डा० आलोक शर्मा | 24.03.04 | 07.09.06 |
| 7 | डा० अरुण प्रसाद सिंह | 24.03.04 | 07.09.06 |
| 8 | डा० सुबोध कुमार | 05.09.04 | 07.09.06 |
| 9 | डा० एच० के० वर्मा | 17.09.06 | 07.09.06 |
| 10 | डा० विनेत कुमार | 05.09.04 | 07.09.06 |

- * अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है।
- * योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई अतिरिक्त पाये जाने पर प्रोन्नति / विनियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव।

क्रमांक- 17/ए3-11/07-195(17) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनायक प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अभिलेख के आधार पर यदि किसी चिकित्सक के योगदान की तिथि से भिन्नता दृष्टिगत हो, इसकी सूचना ब्याधायी इस विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार इसका सुधितपत्र निर्गत किया जा सके।

सरकार के उप सचिव।

